न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 79/2024

जीसीएमएस सं. 2024/90

अपीलांटः–

भंवर सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी डेरिया मोती सिंह नगर, तहसील चामू, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंटः–

तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार, चामू द्वारा कमांक राजस्व/2024/49 आदेश दिनांक 19.02.2024 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

अधिवक्ता श्री गिरधर सिंह भाटी (अपीलांट की ओर से)

निर्णय **दिनांक 29.05.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर द्वारा जारी नोटिस कमांक राजस्व/2024/49 दिनांक 19.02.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.02.2024 को पेश की गई है।
2. दिनांक 27.02.2024 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 28.02.2024 को प्रत्यर्थी तहसीलदार, चामू को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 04.03.2024 को तहसीलदार, चामू की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2024 आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 03.04.2024 तक प्रार्थी के पक्के निर्माण हौद (बनाप 100 मीटर गुणा 100 मीटर) को नहीं हटाने के आदेश पारित किये गये।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार से है कि

a. ग्राम मोती सिंह नगर का खसरा सं. 68 रकबा 6.3940 हैक्टर की भूमि अपीलांट भंवरसिंह पुत्र किशोर सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नं. 68 की भूमि की उत्तर दिशा में लगती हुई खसरा नं. 37 रकबा 89.5487 हैक्टर किस्म गै. मु. पहाड (88.7393 हैक्टर), गै.मु. श्मशान (0.8094 हैक्टर) भूमि ग्राम पंचायत की खातेदारी में नाम दर्ज है। पटवारी हल्का डेरिया ने संवत् 2079 के लिए एक रिपोर्ट तहसीलदार, सेखाला को पेश कर सूचित किया कि भंवर सिंह पुत्र किशोर सिंह (अपीलांट) ने ख.नं. 37 गै.मु. भाखर की 1.61 हैक्टर (10 बीघा) भूमि पर कब्जा काश्त करके तारबंदी कर अतिक्रमण किया है। अतः उसके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। पटवारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार की गई रिपोर्ट की भू अभिलेख निरीक्षक, चामू द्वारा दिनांक 08.09.2022 को जांच की गई है।

b. उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार, सेखाला द्वारा दिनांक 16.03.2023 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है तथा अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रारूप क (नियम 3) में दिनांक 16.03.2023 को जारी कर सुनवाई तिथि दिनांक 22.03.2023 नियत की गई।

अपीलांट दिनांक 22.03.2023, 18.04.2023, 25.04.2023, 30.06.2023 को तहसीलदार, सेखाला के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा उसने जवाब पेश करने हेतु समय मांगा, जो दिया गया है परंतु अपीलांट ने कोई जवाब पेश नहीं किया।

c. उसके बाद दिनांक 14.08.2023 को पत्रावली नवसृजित तहसील चामू को स्थानांतरित की गई, जहां पर प्रकरण सं. 20/2024 दिनांक 17.05.2024 को दर्ज हुआ तथा दिनांक 17.05.2024 को अपीलांट तहसीलदार चामू के न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अगली सुनवाई तिथि 22.05.2024 नियत की गई, जिसमें भी अपीलांट हाजिर रहा तथा अगली तिथि 29.05.2024 नियत की गई। दिनांक 29.05.2024 को अपीलांट की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया, जिसमें उसे अतिक्रमी घोषित किया जाकर, उस पर 80/– रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया है तथा अतिक्रमित भूमि से उसे बेदखल किया गया है, जिसकी पालना में जारी निष्पादन आदेश क्रमांक 2024/202–203 दिनांक 10.06.2024 की पालना में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट को ख.नं. 37 की 1.61 हैक्टर (10 बीघा) भूमि पर से रूबरू मौतबिरान सरपंच, ग्राम पंचायत चामू, भवानी सिंह, डूंगरराम, धुडसिंह, बाबु सिंह व अपीलांट स्वयं की उपस्थिति में, अपीलांट को पटवारी हल्का डेरिया द्वारा मौके पर से बेदखल करके, कब्जा सरकार के पक्ष में पुनः प्राप्त किया गया है। फर्द बेदखली रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 20/2024 पर मौजूद है।

d. जैसा कि उपर वर्णित किया गया है कि पटवारी की रिपोर्ट पर प्रकरण सं. 01/2023 तहसीलदार, सेखाला के न्यायालय में दर्ज था। उस दौरान नई तहसील चामू सृजित हो जाने के कारण प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त होने पर तहसीलदार, चामू ने अपीलाधीन नोटिस क्रमांक राजस्व/2024/49 दिनांक 19.02.2024 जारी कर, अपीलांट को ग्राम मोतीसिंह नगर के ख.नं. 37 पर से अतिक्रमण हटाने हेतु पुनः नोटिस जारी किया तथा उसी भूमि का प्रकरण पहले से ही, तहसीलदार, सेखाला के समक्ष विचाराधीन था, जिसमें अपीलांट नियमित रूप से कार्यवाही में भाग ले रहा था।

e. उक्त सारे तथ्यों की जानकारी अपीलांट को भली भांति थी, क्योंकि पत्रावली की आदेशिकाओं पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर एवं उपस्थिति दर्ज है जिसको नहीं मानने का कोई ठोस कारण नहीं है। अपीलांट ने उक्त सारे अभिलेखीय तथ्य छुपाकर, तहसीलदार, चामू द्वारा जारी आक्षेपित नोटिस दिनांक 19.02.2024 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26.02.2024 को पेश की है, जिसमें कथन किया गया कि ख.नं. 37 का सही नाप किये बिना ही अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। ख.नं. 37 व 68 की सीमाएं लगती हुई है। अपीलांट ने ख.नं. 68 की सीमा पर 100 मीटर गुणा 100 मीटर भूमि पर पानी के लिए हौद बनाया है। दोनो खसरों की सीमाओं की पैमाईश किये बिना ही अतिक्रमी बताकर नोटिस दिया है। अपीलांट ने अपनी जमीन का नापतौल करवाकर, तारबंदी की है। साथ में यह भी कथन किया है कि अगर सरकारी भूमि पर ट्यूबवेल या हौद बना भी लिया है तो उसे नियमित किया जा सकता है। नोटिस अस्पष्ट है, किस जगह पर कितना कब्जा है तथा कितने बीघे का कब्जा है, इसका नोटिस में अंकन नहीं है। ख.नं. 37 का खातेदार ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की है। ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाए बिना ही अपीलांट को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नोटिस दिया गया है जो खारिज योग्य है। अतः आदेश दिनांक 19.02.2024 को निरस्त किया जावे।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की बहस दिनांक 26.05.2026 को अपील पर सुनी गई।

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री गिरधर सिंह भाटी ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार, चामू ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस देकर, सुनवाई करके निर्णय पारित किये बिना ही अतिक्रमण हटाने का सिर्फ नोटिस दिया है, जो गैर कानूनी है। अतः नोटिस को अपास्त किया जावे तथा ख.नं. 37 व 68 का नाप करवाकर, दोनों खसरों की सीमा का सही निर्धारण किया जावे। बिना सीमांकन किये, किस आधार पर अतिक्रमण माना जा सकता है? अतः अपील स्वीकार की जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भली भांति अध्ययन/अवलोकन किया तथा दौराने बहस अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर भी मनन किया। विधि प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. उक्त अनुच्छेदों में उल्लेखित किये गये अभिलेखीय तथ्यों द्वारा ग्राम मोतीसिंह नगर के ख.नं. 37 की 1.61 हैक्टर (10 बीघा) भूमि पर, अपीलांट द्वारा फसल कब्जा करके तारबंदी करने की रिपोर्ट पटवारी डेरिया ने तहसीलदार, सेखाला को प्रस्तुत की है, जिस पर प्रकरण सं. 01/2023 दिनांक 16.03.2023 को दर्ज कर अपीलांट को प्रपत्र क (नियम 3) में दिनांक 16.03.2023 को नोटिस जारी किया जाकर, अपीलांट से दिनांक 23.03.2023 तक अपना पक्ष पेश करने या अतिक्रमण हटाने हेतु जारी किया गया है, यह नोटिस राजस्थान भू राजस्व (अतिक्रमियों की बेदखली) नियम 1975 के नियम 3 के तहत निर्धारित प्रपत्र क में, राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(3) के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें प्रकरण का पूरा विवरण दर्ज है तथा ख. नं. 37 अतिक्रमण रकबा 10 बीघा अतिक्रमण का प्रकार–तारबंदी अंकित है। नोटिस में दिनांक 22.03.2023 तक अतिक्रमण हटाने का स्पष्ट उल्लेख है। उक्त नोटिस की पालना में अपीलांट ने दिनांक 22.03.2023, 18.04.2023, 25.04.2023, 30.06.2023 को न्यायालय तहसीलदार, सेखाला में उपस्थिति दी है तथा अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रकरण नई तहसील चामू में दिनांक 14.08.2023 के आदेश से स्थानांतरित होने पर, तहसीलदार, चामू ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2024 से अपीलांट को स्मरण पत्र जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि उक्त अतिक्रमण आप स्वयं द्वारा हटाया जाने के लिए पूर्व में अलग–अलग नोटिसों के जरिये निर्देशित किया गया था परंतु अभी तक मौके से उक्त अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः दिनांक 22.02.2024 से पूर्व आप उक्त अतिक्रमण हटा ले अन्यथा अतिक्रमण हटाया जायेगा। यह नोटिस धारा 91 के प्रावधानों के अनुरूप है।

इस प्रकार तहसीलदार, चामू द्वारा पूर्व में ही लंबित प्रकरण में जारी नोटिसों के निरंतर में आक्षेपित नोटिस जारी कर अपीलांट को मात्र अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है परंतु अपीलांट ने पूर्व में ही लंबित नियमित कार्यवाही के प्रकरण के तथ्य को छुपाकर, इस न्यायालय में यह अपील, उक्त स्मरण पत्र के आधार पर पेश की है, जिसमें झूठे तथ्य अंकित किये है। अपीलांट का दायित्व था कि वह आक्षेपित नोटिस दिनांक 19.02.2024 का लिखित प्रत्युत्तर तहसीलदार, चामू के समक्ष पेश करता। बाद में स्वयं ने दिनांक 17.05.2024 को प्रकरण में उपस्थिति दी है, आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है तथा अगली सुनवाई तिथि 22.05.2024 व 29.05.2024 को अपीलांट न्यायालय में उपस्थित रहा है तथा दिनांक 29.5.2024 को अपीलांट की उपस्थिति में ख.नं. 37 की 1.61 हैक्टर (10 बीघा) भूमि किस्म गै.मु. पहाड पर उसे अतिक्रमी घोषित किया जाकर, बेदखली के आदेश पारित किये है तथा 80 रूपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। अपीलांट ने तहसीलदार के समक्ष प्रकरण में ख.नं. 37 व 68 की सीमा विवाद बाबत कोई आक्षेप नहीं किया तथा न ही अपीलांट द्वारा कराए गये सीमाज्ञान की रिपोर्ट पेश की। अतः सीमाज्ञान करवा कर ही हौद निर्माण करने का कथन असत्य है। उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट स्वयं ने मौतबिरान के रूबरू ख.नं. 37 की 1.61 हैक्टर (10 बीघा) भूमि पर से अतिक्रमण हटाया है तथा कब्जा पटवारी हल्का डेरिया को दिनांक 12.06.2024 को सुपुर्द किया है, जिस बाबत तैयार फर्द बेदखली पर अपीलांट के हस्ताक्षर है तथा मौतबिरान के रूप में निर्मला, सरपंच, ग्राम पंचायत डेरिया, पटवारी डेरिया, भवानी सिंह, डूंगरराम, धुडसिंह व बाबुसिंह के फर्द पर हस्ताक्षर है।

8. अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SBCWP No. 2869/2024 (भवानी सिंह बनाम जिला कलक्टर, जोधपुर) में पारित आदेश दिनांक 13.05.2026 की

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रति पेश की है। उक्त प्रकरण की विषयवस्तु ख.नं. 37 व 68 की सीमाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि ख.नं. 68 व 69 (गै.मु. गोचर) की भूमियों की अदला बदली (Exchange) करने से संबंधित है, जिसका ख.नं. 37 की भूमि से कोई लेना–देना नहीं है तथा अपीलांट, उक्त रिट याचिका में पक्षकार भी नहीं है। अतः उक्त रिट में पारित निर्देश हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं है।

9. इस प्रकार नियमित रूप से लंबित प्रकरण सं. 20/2024 (पूर्व प्रकरण सं. 01/2023) में अंतिम रूप से निर्णय दिनांक 29.05.2024 को पारित किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है तथा अतिक्रमित भूमि पर से अपीलांट ने फर्द बेदखली अनुसार कब्जा भी हटा लिया है। इसके अतिरिक्त अंतरवर्ती आदेश (Interlocutory Order) दिनांक 19.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील संधारण योग्य नहीं है तथा मूल लंबित प्रकरण सं. 20/2024 (01/2023) में अंतिम रूप से निर्णय दिनांक 29.05.2024 को पारित हो जाने के कारण भी, यह अपील निष्प्रभावी (Infructuous) हो जाने के कारण खारिज योग्य है। आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता या दुर्बलता नहीं पाई गई है।

आदेश

10. परिणामतः उपरोक्त विवेचनानुसार, अपीलांट द्वारा अंतरवर्ती आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील संधारण योग्य नहीं होने से तथा मूल प्रकरण सं. 20/2024 (01/2023) में अंतिम निर्णय तहसीलदार, चामू द्वारा प्रकरण सं. 20/2024 में दिनांक 29.05.2024 को पारित करने के कारण भी यह अपील निष्प्रभावी हो जाने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 की पुष्टि की जाती है।
11. निर्णय की प्रति के साथ मूल पत्रावली तहसीलदार, चामू को लौटाई जावे। तहसीलदार, चामू को निर्देश दिये जाते है कि ख.नं. 37 व 68 की सीमाओं का सही सीमांकन करके, ख.नं. 37 की गै.मु. पहाड व श्मशान की भूमि को संरक्षित करे तथा ख.नं. 37 की भूमि पर, अगर अपीलांट द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जाता है तो धारा 91(2) के प्रावधानों के तहत अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे।
12. प्रकरण में लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.03.2024, अगली पेशी तारीख 03.04.2024 तक ही मान्य थी। उसके पश्चात् स्थगन आदेश की अवधि नहीं बढाई गई है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

13. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) का भी एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

14. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी),
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।